संख्या-38/2025/1171/001-78-01099-279/2025

प्रेषक,

नेहा जैन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांक 19-11-2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 करोड (रूपये चार सौ करोड मात्र) के सापेक्ष धनराशि रु 32,07,439.00 (रुपये बत्तीस लाख सात हजार चार सौ उन्तालिस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-यूपीएलसीः आईसीपीः9064(2025-26), दिनांक 28-08-2025 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेसर्स विएरा इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड को पूंजी उपादान के सापेक्ष प्रथम किश्त के संवितरण हेतु उपर्युक्त पत्र के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक ''2852-उद्योग, 07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-20-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी मद" में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 करोड (रूपये चार सौ करोड मात्र) के सापेक्ष धनराशि रु 32,07,439.00 (रुपये बत्तीस लाख सात हजार चार सौ उन्तालिस मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75, दिनांक 26-06-1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए)(संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक उद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन सब्सिडी के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि रु 32,07,439.00 (रुपये बत्तीस लाख सात हजार चार सौ उन्तालिस मात्र) में से रु 31,43,290.00 (रूपये इक्तीस लाख तैतालिस हजार दो सौ नब्बे मात्र) सीधे लाभार्थी/इकाई के खाते में अन्तरित की जायेगी तथा शेष धनराशि रु 64,149.00 (रूपये चौसठ हजार एक सौ उन्चास मात्र) यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के खाते में अन्तरित की जायेगी। लाभार्थी/इकाई के खाते में धनराशि अन्तरित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के प्राविधानों का किसी प्रकार से उल्लंघन न हो एवं शासनादेश संख्या-1922/78-1-2023-05आईटी/2020, दिनांक 07 दिसम्बर 2023 का पूर्ण अनुपालन एवं तद्रुरूप औपचारिकताएं पूर्ण करा ली जाय।

(8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति में निहित आकंडो एवं गणना की शुचिता तथा शुद्धता का दायित्व प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ का होगा एवं किसी भी रूप में दोहरा भुगतान नहीं किया जायेगा।

(9) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त पी0एल0ए0/बैंक खाते/अन्य किसी भी खाते में नहीं रखा जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने के पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27-03-2025 द्वारा दिशा-निर्देशों को पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 32,07,439 (रुपये बत्तीस लाख सात हजार चार सौ उनतालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852072022000 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

नेहा जैन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-38/2025/1171(1)/001-78-01099-279/2025तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- प्रधान महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।

7- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

9- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।

10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2

12- अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम,आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।

13- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नेहा जैन

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।